

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2103
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

मिशन शक्ति योजना

2103. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत आवंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन कार्य कर रहे हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन ओएससी से सहायता सेवाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (घ) महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई हेतु तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ड.) उक्त मिशन के माध्यम से महिलाओं में वित्तीय साक्षरता/आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) विगत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा में भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने ओएससी, आंगनवाड़ी केंद्रों/कामकाजी महिला छात्रावासों को मंजूरी दी गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं हैं: महिलाओं की सुरक्षा के लिए '**संबल**' और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए '**सामर्थ्य**'। 2022-23 से 2025-26 तक वर्षवार और घटकवार जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

संबल - संबल उप-योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित और समन्वित तरीके से एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना है; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** एक 24 x 7 x 365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** - जन्म के समय घटते लिंग अनुपात (एसआरबी) और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त करने और वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक पायलट पहल है।

सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' उप-योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पहले बच्चे के लिए और दूसरा बच्चा बालिका होने पर नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है; **शक्ति सदन** संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की पीड़ित महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास केंद्र है; **सखी निवास** कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराता है; **पालना योजना** का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण पालन-पोषण सुविधा प्रदान करना है और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देता है।

आरम्भ के समय से अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से लेकर 30 सितंबर, 2025 तक, देश भर में ओएससी के तहत 12.67 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में, देश भर में 864 ओएससी कार्यशील हैं, जिनमें हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़

संसदीय क्षेत्र में भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों में एक-एक ओएससी शामिल है।

पोषण ट्रैकर के अनुसार 30.11.2025 तक कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या भिवानी में 634, चरखी दादरी में 1201 और महेंद्रगढ़ में 1282 है।

आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के क्रियान्वित होने के बाद अक्टूबर 2019 में विशेष पॉक्सो (ईपीओसीएसओ) न्यायालयों सहित फ़ास्ट ट्रैक **विशेष न्यायालयों (एफटीएससी)** की स्थापना की गई। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 400 पॉक्सो न्यायालयों सहित 773 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यशील हैं, जिन्होंने 35 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

अनुलग्नक

'मिशन शक्ति योजना' के संबंध श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक जारी की गई निधि का वर्षवार और घटकवार विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
		जारी की गई	जारी की गई	जारी की गई	जारी की गई #
1	ओएससी	65.69	189.73	158.3	98.45
2	डब्ल्यूएचएल	37.44	75.25	10.89	17.42
3	बीबीबीपी	95.96	88.63	33.08	29.52
4	नारी अदालत	-	0.424	0.09	0.17
5	पीएमएमवीवाई	2032.8	870.34	1448	955.48
6	शक्ति सदन	15.45	118.98	84.98	22.56
7	सखी निवास	17.63	4.52	8.13	2
8	पालना	4.68	64.15	45.17	10.26
9	संकल्प: एचईडब्ल्यू	65.6	102.52	44.24	46.6
कुल योग		2335.25	1514.544	1832.88	1182.46

30.11.2025 को जारी की गई
